

24-12-14 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
बारे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण
होगा है। अतः पत्रावली दि० 25-12-14
को पेश हो।

रीडर

25-1-14 वकील उभयपक्ष उप० है। प्रतिवादी नं० 1 की ओर से
अत्राव दया पेश हुआ। तलवी प्रतिवादी नं० 2 पुनः की
जाकर पत्रावली दि० 8-4-15 को पेश हो।

8-4-15 पत्रावली पेश हुई वकील उभयपक्ष उप० है
तलवी प्रतिवादी नं० 2 पुनः लक्षणे पर की
जाकर पत्रावली दि० 13-5-15 को पेश हो।

13-5-15 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/वकील
उभयपक्ष उपस्थित है। श्रीमान् P.O. साहब
बारे पर है। अवकाश पर है/का स्थानान्तरण
होगा है। अतः पत्रावली दि० 30-6-15
को पेश हो।

172631

27-5-15

रीडर

25-12-14

द.जा.21

5-6-15 पत्रावली लोक अदालत शिविर सलेमपुर
पर पेश हुई। वादी दजारीलाल व प्रतिवादी सुब्रह्म
ने बताया कि मौके पर सी०सी० रोड का निर्माण
हो चुका है एवं अब कोई विवाद नहीं है। पत्रावली
लाल निर्णित कर दी जावे।
अतः पत्रकारों के कथन के आधार पर
अब कोई विवाद नहीं होने के कारण वादीगण का
वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली जारी
किया जावे। पत्रावली फैसल नुमांदा होकर नम्बर
से कम हो एवं वाद तकमील दारिखत दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) सलेमपुर

पीठासीन अधिकारी—: मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

हजारी पुत्र मांग्या, रैगर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
 मजनलाल पुत्र देवा, रैगर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
 लड्डूलाल पुत्र देवा, रैगर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
 मगवान सहाय पुत्र गेन्दा, रैगर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी

—वादीगण

बनाम

सुग्रीव पुत्र कन्हैया, गुर्जर निवासी फरासपुर तह0 गंगापुर सिटी
 श्यामलाल पुत्र जैन्या, गुर्जर निवासी सलेमपुर तह0 गंगापुर सिटी

—प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा

कदमा नं. — 77/2014

वादीगण की ओर से वादी हजारी की व प्रतिवादीगण की ओर से प्रतिवादी सुग्रीव की पस्थिति में इस वाद मे आज तारीख 05.06.2015 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के अन्त अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है

वादी हजारी व प्रतिवादी सुग्रीव ने बताया कि मौके पर सी0सी0 रोड का निर्माण हो चुका है एवं अब कोई विवाद नहीं है। फलस्वरूप वादीगण का वाद खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेगे।

यह आज तारीख 05.06.2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



मुनिदेव यादव
 उपखंड अधिकारी
 उप जिला कलेक्टर
 गंगापुर सिटी

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1 वादपत्र के लिए स्टाम्प	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	/
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3 प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6 कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7 आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	

की ओर से
 पुनः की

उपरो

र की

पक्ष को

31

15

विर सलेमपुर
 वादी सुग्रीव
 का निर्माण
 है। पत्रावली

आधार पर
 वादीगण का
 डिक्री जारी
 कर नम्बर
 म (दफ्तर को)

क्टर